

सेवामें

श्रीमान् तहसीलदार साहब
दूनी।

प्रशासन गांवों के संग कैम्प 2021
क्र. दि.

2021
1116

विषय:-ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी के खाता सं0 274 में नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्ती करने
बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट 1956 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं0 274 में
मेरा नाम/पिता का नाम/जाति गलत रूप से मिश्रा पुत्र रुचनाथ मीणा दर्ज है। मेरा सही
नाम/पिता का नाम/जाति मिश्रीलाल पुत्र रुचनाथ मीणा है।
अतः सही नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्त कराने की कृपा करावें।

अ.नि.मिश्रा

प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी

महोदय

निवेदन है कि ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं0 274 पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति मिश्रा पुत्र रुचनाथ मीणा दर्ज है। प्रार्थी ने शपथ पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम/पिता का नाम/जाति मिश्रीलाल पुत्र रुचनाथ मीणा
करवाने का निवेदन किया है। हितबद्धधारी(प्रार्थी) की स्वीकारोक्ति एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति मिश्रीलाल पुत्र रुचनाथ मीणा दर्ज किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः
प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जाति मिश्रीलाल पुत्र रुचनाथ मीणा दर्ज किये जाने की अभिशांषा
की जाती है।

हस्ताक्षर पटवारी
प. इ. सीतापुरा

हस्ताक्षर भू0अ0नि0

कार्यालय तहसीलदार दूनी कैम्प सीतापुरा

क्रमांक 15

दिनांक 14/2/21

रिपोर्ट पटवारी हल्का सीतापुरा भू0अ0नि0 वृत्त कोना एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता संख्या 274 में
प्रार्थी नाम/पिता का नाम/जाति सही रूप से मिश्रीलाल पुत्र रुचनाथ मीणा दर्ज किये जाने
की अभिशांषा के साथ प्रकरण मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली की सेवामें सादर प्रेषित है।

462
2021
क्रमांक

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली
कैम्प/21

तहसीलदार (भू0अ0)
दूनी जिला-दोंक
दिनांक:- 14/2/21

तहसीलदार दूनी की अभिशांषा अनुसार ग्राम सीतापुरा (जमाबंदी)
सं 2077 के खाते के खाता सं 274 पर दर्ज मिश्रा पुत्र रुचनाथ
के स्थान पर मिश्रीलाल पुत्र रुचनाथ दर्ज शपथ पत्र के
द्वारा सुनिश्चित किया जाना है

उपखण्ड अधिकारी
देवली (दोंक)